न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी :– दिपांशु आर्य, आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या :– 634/2017

सी.आई.एस. नंबर :– 634/2017

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 192/2017 पी.एस. आबूरोड सदर

राजस्थान राज्य .....**अभियोगी**

बनाम

तेजाराम पुत्र नाथाजी निवासी चण्डेला थाना आबूरोड सदर जिला सिरोही।

.....**अभियुक्त**

अपराध अर्न्तगत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2. श्री नारायण लाल – अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

–:निर्णयः– **दिनांक – 01.07.2026**

01. अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 06.08.2017 को प्रार्थी श्री उमाराम ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना आबूरोड सदर को इस आशय से पेश की कि दिनांक 05.08.2017 को रात्रि 8.30 पी.एम. बजे लगभग पुरानी रंजिशवश तेजाराम पुत्र नाथा निवासी चण्डेला पुलिस थाना आबूरोड सदर जिला सिरोही वाले ने प्रार्थी को रास्ते जाते हुए आडा फिर कर भोमा के घर के पास महुडे के पेड के पास रोक कर तेजाराम ने उसके जीवणे हाथ की अंगुलियां में लोहे की फेट डालकर उसके साथ मारपीट कर उसे नीचे गिरा दिया। प्रार्थी के गिरे हुए पर उसने उसके मुंह पर एक से अधिक फेट मारी, जिससे उसका जबडा हिल गया एवं एक दांत टूट गया। उसका पूरा मुंह सूज गया। उक्त घटना से बचाव हेतु खडा हो कर काका भोमा के घर के अंदर रात्रि में घुस गया। तब पीछे दौडकर तेजाराम रात्रि को काका के घर में घुस कर पुनः उसके साथ काका भोमा के घर के अंदर रात्रि को मारपीट की। तब वहां पर मौजूद काला व उसकी मां ने बीच बचाव किया एवं मेरी भांजी सोमी भी हो हल्ला सुनकर काका के घर आई तथा तेजाराम ने उसका स्पाईस कंपनरी का मोबाईल फोड कर अठारह सौ रूपये का नुकसान किया। इत्यादि–इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना आबूरोड सदर में प्रकरण संख्या 192/2017 दर्ज कर मामले में आवश्यक अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त तेजाराम के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, व 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया जाकर

न्यायालय में उक्त धाराओं का चालान पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. अभियुक्त को धारा 341, 323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेंह से परे प्रमाणित कराये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह **पी.डब्ल्यू. 1** उमाराम, गवाह **पी.डब्ल्यू. 2** राजी, गवाह **पी.डब्ल्यू. 3** गौरव मेवाडा, गवाह **पी.डब्ल्यू. 4** कालाराम, गवाह **पी.डब्ल्यू. 5** सुरेश, गवाह **पी.डब्ल्यू. 6** भोमा व गवाह **पी.डब्ल्यू. 7** कैलाश चन्द को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखिय साक्ष्य में **प्रदर्श पी–1** मूल एफ.आई.आर., **प्रदर्श पी–2** उमाराम का चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट, **प्रदर्श पी–3** फर्द नक्शा मौका घटनास्थल **प्रदर्श पी–4** मोबाईल गुम हो जाने बाबत् प्रार्थना पत्र व **प्रदर्श पी–5** अंतिम रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया।

04. अभियुक्त तेजाराम का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध आई साक्ष्यों को गलत होना व प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

05. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु उदभूत होते हैः–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.08.2017 को समय करीबन रात्रि करीब 8.30 बजे सरहद मौजा गिरवर रोड में परिवादी को अपने गन्तव्य स्थान की ओर जाते हुए के आडे फिर कर सदोष अवरोध कारित किया एवं उसके साथ में कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी का मोबाईल तोड़कर नुकसान कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त ने अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया? यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?''

06. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अतः अंत में अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में संदेह से परे नहीं बताकर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अंत में अभियुक्त को उक्त

अपराध में दोषसिद्ध घोषित करने का निवेदन किया।

07. मैनें उभय पक्षों की बहस पर विचार किया एवं पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार से है।

08. **गवाह पी.डब्ल्यू. 1 उमाराम** जो कि प्रकरण में परिवादी है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि उसके बयान देने से लगभग 1 साल पहले की बात है। शाम को 7.30 बजे उसके कुये चंडेला की बात है। वह गिरवर स्टेशन से घर जा रहा था। तभी उसके चाचा के वहां भोमाराम के वहां पहुंचे तो तेजाराम पुत्र नाथा ने चुपके से उसका गला पकड कर उसके साथ मारपीट की तथा उसे फेट मारा। जिससे उसके मुंह पर चोट आई और दांत व जबडा व आंख के चोट आई थी। तभी उसकी चाची राजी पत्नी भेमा ने बीच बचाव किया। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में दी थी, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई थी, जहां उसका ईलाज करवाया था, जो चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने 2 दिन बाद घटनास्थल का मौका देखा था, जो फर्द नक्शा मौका व हालात प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह कथन किया कि प्रदर्श पी 1 उसने दूसरों से लिखवाई थी। झगडा रात्रि के समय हुआ था, झगडा हुआ वहां अंधेरा था, झगडा हुआ वहां रास्ता उबड खाबड है। वह शराब नही पीता हैं। झगडा हुआ उस समय वह शराब पीया हुआ नही था। उसने और तेजा के साथ अच्छे संबंध थे। प्रदर्श पी 1 उसने सीटी थाने में दी थी। वह चनार अस्पताल नही गया था। पुलिस उसे घटना के दूसरे दिन अस्पताल लेकर गई थी। झगडा हुआ, उस समय वह अकेला ही था। पुलिस झगडे के दूसरे दिन मौके पर आई थी। पुलिस आई उस समय वह मौके पर अकेला ही था। उसे पुलिस वालों ने चौकी पर बुलाया था। पुलिस वालों ने उसके चौकी पर ही हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसके सामने कोई लिखापडी नही की थी, कोरे कागज पर ही हस्ताक्षर करवाये थे। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि पुलिस ने दो दिन बाद घटना का मौका देखा था, जो प्रदर्श पी 3 है परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया कि पुलिस झगड़े के दूसरे दिन मौके पर आई थी। उक्त गवाह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया गया है कि पुलिस वालों ने उसके चौकी पर ही हस्ताक्षर करवाये थे, पुलिस ने उसके सामने कोई लिखापढ़ी नही की थी, कोरे कागज पर ही हस्ताक्षर करवाये थे। परिवादी द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 1 में यह अंकित किया गया है कि मुल्जिम द्वारा उसका मोबाईल भी फोड़कर नुकसान कारित किया गया परंतु ऐसा कोई कथन उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादी द्वारा एफ.आई.आर. रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पी.एस. आबूरोड सदर में पेश करना बताया है परंतु

उक्त गवाह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श पी 1 उसने सिटी थाने में दी थी। ऐसे में अभियोजन की कहानी में संदेह उत्पन्न होता है।

09. गवाह पी.डब्ल्यू. 2 राजी जो कि प्रकरण में चश्मदीद गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि उसके बयान देने से लगभग 1 साल पहले की बात है। शाम को 7 बजे के लगभग उमाराम उसके घर जा रहा था, तब तेजाराम ने मारपीट की थी। उमाराम के कहां लगी थी, पता नही। मारपीट करते उसने देखा था। मारपीट कर उमाराम के दांत तोडे थे। दांत फेंट से तोडे थे। उसने बीच बचाव कर छुडाया था। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह कथन किया कि झगडा हुआ, वहां अंधेरा था। झगडा हुआ, उस समय वह घर पर थी। वह बीमार थी, इसलिए वह सो रही थी। उसने झगडा नही देखा था और ना ही बीच बचाव किया था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नही की थी। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों के प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि उसने झगडा नही देखा था और ना ही बीच बचाव किया था।

10. गवाह पी.डब्ल्यू. 3 गौरव मेवाडा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि वह दिनांक 06.08.2017 को एम.ओ. आबूरोड के पद पर कार्यरत था, उस रोज उसने पुलिस प्रार्थना पत्र पर मजरूब उमाराम पुत्र रामाजी के शरीर पर आई चोट का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन पत्र तैयार किया था, जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर, सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर, ई से एफ मजरूब का पहचान चिह्न है। मजरूब के शरीर पर आई सभी चोटें कुदांले हथियार से कारित होकर साधारण प्रकृति की थी। चोट की अवधि 24 घंटे के भीतर की है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि उक्त चोटें कहीं पथरीली जगह या कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती है या मोटरसाईकिल से नीचे गिरने से भी आ सकती है। इस प्रकार उक्त गवाह चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 को ताईद करने का गवाह है।

11. गवाह पी.डब्लयू. 4 कालाराम जो कि प्रकरण में चश्मदीद गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि उसके बयान देने से करीब 2 साल पहले की बात है। उमाराम आबूरोड से उसके घर चण्डेला जा रहा था। तेजाराम रास्ते में छुपके बैठा था। घटना रात्रि करीब 8.30 बजे की थी। तेजाराम ने उमाराम को रास्ते जाते को रोककर थापों मुक्कों से मारपीट की तो तेजाराम चिल्लाया तब चिल्लाने की आवाज सुनकर वह और उसकी मम्मी बीच बचाव कर छुडाने गये, उसके पिताजी भी साथ में थे। फिर उन्होंने छुडाया, तब तेजाराम उसके घर चला गया तथा उमाराम को वे उनके घर ले गये। घटना में उमाराम का मोबाईल टूट गया था। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर अंधेरा था। घटनास्थाल से उसका मकान थोडी सी दूर है। सबसे पहले घटनास्थल पर वह, उसकी मां या पिताजी कौन पहुंचा, पता

नही। वह घटनास्थल पर पहुंचा तब तेजाराम घटनास्थल से भाग चुका था। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे उमाराम ने बताया हो कि तेजाराम ने मारपीट की हो। तेजाराम के हाथ में कोई लाठी नही थी। झगडा किस बात को लेकर शुरू हुआ, उसे पता नही। उमाराम एवं तेजाराम दोनों सके काका बाबा के भाई लगते है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि तेजाराम से उसकी बोलचाल नही है। इस प्रकार एक ओर तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उन्होंने छुड़ाया तब तेजाराम अपने घर चले गया परंतु उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब तेजाराम घटनास्थल से भाग चुका था। ऐसे में उक्त गवाह के बयानों में गंभीर विरोधाभास आया।

12. **गवाह पी.डब्लयू. 5 सुरेश** ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि पुलिस वालों ने उसके सामने मारपीट बाबत् नक्शा मौका बनाया था। जो नक्शा मौका भोमा के घर के पास जहां मारपीट हुई थी, वहां का बनाया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशान है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, पर हस्ताक्षर थाने में कराये। घटना के समय वह वहां पर नही था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका बनने के पश्चात् वह वहां पर गया था। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों के प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, पर हस्ताक्षर थाने में कराये। घटना के समय वह वहां पर नही था।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू 6 भोमाराम** जो कि प्रकरण का चश्मदीद गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि उसके बयान देने से लगभग 6 साल पहले की बात है। उसके घर के सामने तेजाराम ने उमाराम को रोककर उसके साथ लोहे की फेंट से मारपीट की। उमाराम के चिल्लाने पर वे लोग बाहर की तरफ गये, तब उन्होंने मारपीट होते देखी, उसके बाद उमाराम दौड कर उसके घर में आया। तेजाराम भी उसके पीछे आया तथा मारपीट करने लगा तब उसकी पत्नी और उसके बेटे काला ने बीच बचाव करके छुडाया। तेजाराम ने उमाराम को मोबाईल तोड दिया। जिसे उमाराम को लगभग 1800/– रूपये का नुकसान हुआ। वह उमाराम को अस्पताल लेकर गया। संपूर्ण घटना उसके सामने हुई थी। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह कथन किया कि उसके और तेजाराम के मकान के मध्य दूरी एक किलोमीटर नही है, लगभग 500 मीटर के आसपास है। रात्रि को 9.30 बजे हुई, फिर कथन किया कि 8.30 बजे हुई। तेजाराम उनके रिश्ते में काका बाबा में लगता है। जब झगडा हुआ तब वह घर पर नही था, काम पर बाहर था। झगडा होते हुए उसने नहीं देखा। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों के प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि उसने झगडा होते हुए नहीं देखा।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू 7 कैलाश चन्द** जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी

है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य दी कि वह दिनांक 06.08.2017 आबूरोड सदर थाने की पुलिस चौकी पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज उमाराम द्वारा एक एफआईआर मारपीट तथा मोबाईल तोडने बाबत् पीएस आबूरोड सदर में दी थी, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उमाराम के हस्ताक्षर है। एफआईआर को एसएचओ साहब ने प्रकरण संख्या 192/2017 अंतर्गत धारा 341, 323, 427 भा.द.स. में दर्ज कर तफ्तीश उसके हवाले की थी। प्रदर्श पी 1 पर सी से डी एसएचओ सुमेरसिंह जी के हस्ताक्षर तथा ई से एफ पुलिस पृष्ठांकन है। दौराने अनुसंधान उसने संपूर्ण गवाहों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्स वाई स्थान पर मौतबिरान के अंगूठा निशान है, ए से बी उमाराम के हस्ताक्षर है। उसने मजरूब उमाराम के आई चोटों का मेडिकल करवाकर आईआर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर जी से एच उसके शामिल पत्रावली हस्ताक्षर है। मजरूब उमाराम द्वारा मोबाईल घुम होने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 14 है, जिसय पर ए से बी उमाराम के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके शामिल पत्रावली हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात् उसने मुल्जिम तेजाराम के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 427 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित मान पत्रावली अनुसंधान हेतु एसएचओ सुमेरसिंह जी को सुपुर्द की। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी सुमेरसिंह जी के हस्ताक्षर है। सुमेरसिह जी द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर ए से बी सुमेरसिंह के हस्ताक्षर है, जो वह साथ काम करने से पहचानता है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि घटना की रिपोर्ट थाने में दी थी। घटना की रिपोर्ट 6 तारीख को प्राप्त हुई थी। मुकदमा किस तारीख को दर्ज हुआ था, उसे पता नही, फिर स्वयं कथन किया कि 6 तारीख को दर्ज हुआ था। वह घटनास्थली पर 7 तारीख को गया था। घटनास्थल का नक्शा मौका भी 7 तारीख को बनाया था, जो सुबह के समय बनाया था। घटनास्थल के आसपास लोगों के मकानात आए हुए है। उसने घटनास्थल पर मौतबीर हेतु स्वतंत्र मौतबीर बुलाये थे। उसने उमाराम का मेडिकल मुकदमा दर्ज होने के बाद 6 तारीख को कराया था। उसने उक्त तफ्तीश में तीन चार गवाहों के बयान लेखबद्ध किए थे।

15. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि प्रकरण के परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 01 उमाराम ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 1 एफ.आई.आर. उसने सीटी थाने में दी थी, परंतु अभियोजन कहानी के अनुसार एफ.आई.आर. आबूरोड़ सदर थाने में दी थी। उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई लिखापढ़ी नही की थी एवं कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रकरण के तथाकथित चश्मदीद

गवाह पी.डब्ल्यू. 2 राजी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने झगडा नही देखा था और ना ही बीच बचाव किया था। प्रकरण का अन्य तथाकथित चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 4 कालाराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब तेजाराम घटनास्थल से भाग चुका था तथा प्रकरण का अन्य तथाकथित चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 6 भोमाराम द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि झगडा होते हुए उसने नहीं देखा। ऐसे में अभियोजन पक्ष की कहानी में संदेह उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष उक्त विचारणीय बिंदु अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः उक्त तर्क विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचंता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त तेजाराम के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है तथा अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषमुक्ति का पात्र है।

–:आदेशः–

16. अतः अभियुक्त तेजाराम पुत्र नाथाजी निवासी चण्डेला थाना आबूरोड सदर जिला सिरोही को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् लिए गए जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

17. अभियुक्त को धारा 437 (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित रहने हेतु छः माह की अवधि के लिए **10,000/– रूपये** की जमानत व इतनी राशि का मुचलका पेश करें।

(दिपांशु आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आबूरोड

18. निर्णय आज दिनांक 01.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिपांशु आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आबूरोड

VIJAY MEENA
Digitally signed by VIJAY MEENA
Date: 2026.07.10 15:45:12 +0530